2024/388 D

फैसला 27/5/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी
राज. सरकार जरिये
तहसीलदार नावां

बनाम

अप्रार्थीगण
1. देवीलाल पुत्र कल्याण जाति मेघवाल
2. हनुमान पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल
निवासीयान सिनोदिया तह. सांभर
3. पनाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल
सा. सिरसी तह. नावां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :–0182/2024

निर्णय दिनांक :– 27.05.2024

आदेश

तहसीलदार नावां ने ग्राम सिरसी पटवार हल्का मूण्डगसोई तहसील नावां के खसरा नम्बर 167 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी–1 भूमि में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षो से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी–1 दर्ज हैं। तहसीलदार नावां ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम सिरसी पटवार हल्का मूण्डगसोई तहसील नावां के खसरा नम्बर 167 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी–1 भूमि में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी–1 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम सिरसी पटवार हल्का मूण्डगसोई तहसील नावां के खसरा नम्बर 167 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी–1 भूमि दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षों से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम सिरसी पटवार हल्का मूण्डगसोई तहसील नावां के खसरा नम्बर 167 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी–1 भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा तहसीलदार नावां ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये है। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अतः तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम सिरसी पटवार हल्का मूण्डगसोई तहसील नावां के खसरा नम्बर 167 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी–1 में से 0.0096 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता की भूमि खातेदारों ... होगी। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अंभिन्न अंग रहेगा। आ... तहसीलदार नावां को पालनार्थ भिजवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 15:22:25 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (डीडवाना–कुचामन) राज.

क/रीडर/2024/215 दिनांक :– 2/9/24

प्रति :–

तहसीलदार, नावां।

विषय :– निर्णय की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के अनुवान प्रकरण राज. सरकार बनाम ...त वगैरह मुकदमा नम्बर 182/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 की प्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ आपको भिजवायी जा रही है। माफिक निर्णय पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 15:22:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner